जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक-05.02.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 09.01.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो घटना में लिप्त अभियुक्त ऋतिक को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोनू पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम रंगाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 13.67 ग्राम स्मैक बरामदः-

आज दिनांक 05.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 13.67 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.परवेज पुत्र कामिल निवासी ग्राम भूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 13.67 ग्राम स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 शान्तनु यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 17,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2006 में अभियुक्त नन्दू पुत्र रणजीत निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 455/2006 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2012 में अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र जगरोशन निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 369/12 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2003 में अभियुक्त शहजाद पुत्र शरीप निवासी मौहल्ला हरेन्द्र नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 226/03 धारा 452/324/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त न्यायालय उठने तक की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2013 में अभियुक्त समयदीन पुत्र माजिद निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 382/13 धारा 4/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI